भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4265
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम के तहत सौर पंप</u>

4265. डॉ. जयंत कुमार रायः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों के प्रयोजनार्थ चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान 'पीएम-कुसुम' से लाभान्वित जलपाईगुड़ी के किसानों की संख्या क्या है;

(ख) क्या जिले में अधिक कृषि भूमि को कवर करने के लिए योजना का विस्तार करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सब्सिडी आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है तथा क्षमताओं का आवंटन राज्यों द्वारा रखी गई मांग तथा उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) लाभार्थियों के चयन तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

पश्चिम बंगाल राज्य को शुरुआत में पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत 10,000 पम्प स्वीकृत किए गए, जिसे बाद में कोई प्रगति न होने तथा कोई उपलब्धि हासिल न कर पाने के कारण राज्य को उचित समय पर नोटिस जारी करने के बाद वापस ले लिया गया।

वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से किसी भी आवंटन तथा राज्य में पीएम-कुसुम योजना के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****